

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) No.715

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

ललन यादव, पुत्र स्वर्गीय बच्चा यादव गाँव के निवासी-डोमहाता, थाना-माघगढ़, जिला-
गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/प्रत्यार्थीगण

=====

साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 448

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. सत्य नारायण यादव, पुत्र गंगा यादव
2. बैज नाथ यादव उर्फ बैद्य नाथ यादव पुत्र-स्वर्गीय रुदल यादव
3. ध्रुव यादव, पुत्र- स्वर्गीय रुदल यादव

4. रामाजी यादव, पुत्र- बाबूलाल यादव

5. साधु यादव, पुत्र- बाबू लाल यादव

सभी गाँव-के निवासी-डोमहट्टा थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/प्रत्यार्थीगण

=====

के साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 666

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. रामधर यादव;

2. लक्ष्मण यादव

दोनो मुस यादव के पुत्र गाँव के निवासी-डोमा हट्टा, पुलिस स्टेशन-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

के साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 756

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. वकील यादव पुत्र स्वर्गीय मुखलाल यादव
2. भोला यादव, पुत्र यादव
3. सरल यादव, पुत्र -वकील यादव
4. सुखल यादव, पुत्र -स्वर्गीय अवध यादव
5. देवता यादव पुत्र- सुखल यादव
6. किसान यादव पुत्र- ललन यादव
7. विजय यादव, पुत्र- ललन यादव

सभी ग्राम के निवासी-डोमहट्टा थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 302, 201 और 34- अपीलकर्तों ने हत्या का प्रयास किया - किसी भी गवाह ने घटनास्थल पर सभी 15 आरोपियों को नहीं देखा- अभि०ग० 3/ सूचनाकर्ता का बयान अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं- मृतक के घर में घुसने, मारपीट करने और घसीटकर हत्या करने में सभी 15 आरोपियों की भागीदारी पर संदेह अभि०ग० 3 द्वारा अपने पिता को आरोपियों में से एक के रूप में नामित करने का आरोप पूर्ण होने के कारण कटे हुए कनेक्शन का तथ्य सत्य हो भी सकता है और नहीं भी।

केवल एक घर्षण अर्थात् त्वचा की गहराई का बाहरी साक्ष्य शव परीक्षा प्रतिवेदन में कोई घसीटने का निशान नहीं पाया गया- सभी अपीलकर्तों को संदेह का लाभ देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया गया- इसलिए, दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दर किनार किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) No.715

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

ललन यादव, पुत्र स्वर्गीय बच्चा यादव गाँव के निवासी-डोमहाता, थाना-माघगढ़, जिला-
गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/प्रत्यार्थीगण

=====

साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 448

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. सत्य नारायण यादव, पुत्र गंगा यादव
2. बैज नाथ यादव उर्फ बैद्य नाथ यादव पुत्र-स्वर्गीय रुदल यादव
3. ध्रुव यादव, पुत्र- स्वर्गीय रुदल यादव

4. रामाजी यादव, पुत्र- बाबूलाल यादव

5. साधु यादव, पुत्र- बाबू लाल यादव

सभी गाँव-के निवासी-डोमहट्टा थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/प्रत्यार्थीगण

=====

के साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 666

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. रामधर यादव;

2. लक्ष्मण यादव

दोनो मुस यादव के पुत्र गाँव के निवासी-डोमा हट्टा, पुलिस स्टेशन-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

के साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 756

वर्ष-2010 के थाना वाद सं.-45, थाना-मंझागढ़ जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

1. वकील यादव पुत्र स्वर्गीय मुखलाल यादव
2. भोला यादव, पुत्र यादव
3. सरल यादव, पुत्र -वकील यादव
4. सुखल यादव, पुत्र -स्वर्गीय अवध यादव
5. देवता यादव पुत्र- सुखल यादव
6. किसान यादव पुत्र- ललन यादव
7. विजय यादव, पुत्र- ललन यादव

सभी ग्राम के निवासी-डोमहट्टा थाना-मंझागढ़, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

(2017 के आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 715 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी/

(2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 448)

अपीलार्थी के लिए : सुश्री रीना सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

(2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 666)

अपीलार्थी के लिए : श्री उमेश कुमार सिंह,

राज्य के अधिवक्ता राज्य के वास्ते श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

(2017 का आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 756)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे मौखिक निर्णय

(द्वारा: द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि :02-01-2024

सभी आपराधिक अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निष्पादन किया जा रहा है।

2. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर, सुश्री रीना सिन्हा और श्री उमेश कुमार सिंह को सुना है। सभी अपीलों में राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने किया है।

3. 2010 के मझागढ़ थाना वाद सं-45 से उद्भूत 2010 का सत्र वाद सं-32 (2013 का सी.आई.एस.सं.2898) में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VIII गोपालगंज द्वारा पारित दिनांकित 28.03.2017 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भ.द.सं.) की धारा 302 एवं 201/34 के तहत अपीलार्थी (संख्या में पंद्रह) को दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धि ही यानी 28.03.2017 को, पर, अपीलार्थियों को भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और उनमें से प्रत्येक पर 20,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था तथा भा.द.वि. की धारा 201 के अपराध के लिए चार साल के लिए कठोर कारावास एवं उनमें से प्रत्येक पर 1000/- को जर्माना लगाया गया। डिफॉल्ट खंडों को संयुक्त बनाया गया है, अर्थात्, जुर्माना नहीं देने पर छह महीने के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा अवधि भुगतनी होगी। निचली अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत सूचक को दिया जाएगा, जो मृतक की पत्नी है। इसके अतिरिक्त,

अपीलार्थियों में से एक, ललन यादव [2017 की अपराधिक अपील (सं.पी.) संख्या 715] को रु. 1,00,000/- को राशि मृतक की पत्नी को जो संयोग से कोई और नहीं है, बल्कि पूर्व-उल्लिखित अपीलार्थी की बेटी है को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

4. दयानंद यादव को कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उनके शव को अपीलार्थी/ललन यादव की सक्रिय सहायता से आग लगा दी गई, जो पूर्व-उल्लिखित दयानंद यादव के ससुर हैं।

5. मृतक की पत्नी आशा देवी (अभि. साक्षी 3) द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। उसने उप निरीक्षक/राम कुमार सिंह (अभि. साक्षी 7) द्वारा दर्ज अपने फरदबेयान बयान में आरोप लगाया है कि अपीलार्थी उसके घर में घुस गए थे। उसके पति को घसीटकर बाहर निकाला और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। अपीलार्थियों द्वारा शव को उठाया गया और बरामदे पर फेंक दिया गया। बाद में, उसके पिता (अपीलार्थी/ललन यादव) ने अपने सह-ग्रामीणों/अपीलार्थियों को मृत शरीर को आग में जलाने का आदेश दिया जो पहले से ही उसके घर के सामने जल रही थी। घटना को देखकर, अभि. साक्षी 3 ने दावा किया कि वह एक परमानंद यादव के घर में शरण लेने के लिए एक अलग ग्राम में भाग गई थी। कुछ समय बाद वह अपने ग्राम के घर आई और अपने पिता के घर के सामने अपने पति का शव देखा। वह यह आरोप लगाने में बहुत स्पष्ट रही है कि अपराध को छुपाने के लिए, शव को जलाने का प्रयास किया गया था।

6. पूर्व-उल्लिखित फरदबेयान के आधार पर, 2010 का मंझागढ़ थाना मामला संख्या 45 दिनांक 13.03.2010 को भां.दं.सं. की धारा 302,201 और 34 के तहत सभी अपीलार्थियों के खिलाफ अनुसंधान के लिए दर्ज किया गया था।

7. पुलिस ने अनुसंधान के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ *आरोप पत्र* समर्पित किया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया।

8. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि निचली अदालत ने अभि. साक्षी 3 के बयान को पूरी तरह से एक पिता की बेटी के रूप में कभी भी उस पर अपने पति की हत्या करने का झूठा आरोप नहीं लगाएगी। यह तर्क दिया गया है कि अभि. साक्षी 3 के बयान को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए था और केवल अपीलार्थी/ललन सिंह और अभि. साक्षी 3 के बीच पुत्रीय संबंध के कारण उस पर अंतर्निहित निर्भरता रखने के लिए इसका अधिक गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए था।

10. इसके अलावा, अपीलार्थियों के बचाव में यह आग्रह किया गया है कि अभि. साक्षी- 3 के घटना के गवाह होने के बड़े दावों के बावजूद, पी. ओ. में उनकी उपस्थिति, विशेष रूप से हमले के समय, को संदिग्ध बना दिया गया है, जो तथ्य सभी गवाहों के बयान के सादा पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है।

11. मुकदमे में किसी भी स्वतंत्रता व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई है, विद्वान अधिवक्ता दुख व्यक्त करते हैं, और केवल वे व्यक्ति जो मृतक से सीधे संबंधित हैं, वे ही निचली अदालत के समक्ष गवाही दिए हैं। कुछ लोग, जो कहानी की इस जटिल गुत्थी को सुलझा सकते थे, उन्हें उद्देश्यपूर्ण रूप से पीछे छोड़ दिया गया है। विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि घटना का तरीका भी मुकदमे में दी गई प्रत्यक्ष गवाही के अनुरूप नहीं है।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए समय-अवधी ने अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को और कम कर दिया है। प्राथमिकी उनके अनुसार, मृतक पर शारीरिक चोट के लिए एक स्पष्टीकरण शामिल करने के लिए उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिसमें बालों का मामूली जलना भी शामिल था, जो कि मृतक को आग लगाने की स्थिति में नहीं हो सकता था। यहां तक कि पंद्रह लोगों द्वारा मृतक की मृत्यु से पहले उस पर हमला करने का आरोप भी उस डॉक्टर द्वारा पाए गए मृत्यु पूर्व-शव परीक्षण चोटों से साबित नहीं होता है जिसने शव परीक्षण किया था।

13. इसलिए, पूरी कहानी का असली रूप दिखलाने की इस आधार पर मांग की गई थी कि अभि. साक्षी 3 के अपने माता-पिता के साथ संबंध टूटने के साथ, परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी करने के कारण, उसने अपने ससुराल वालों के साथ जाने का फैसला किया अन्यथा उसके जाने के लिए कोई जगह नहीं होगा। अन्यथा भी, अभि. साक्षी 3 ने अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखा था, जो केवल बगल में ही रहता था।

14. पूर्व-उल्लिखित दलीलों के विपरीत, विद्वान एपीपी श्री सिन्हा ने इस आधार पर फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में मामूली विसंगतियां इसे पूरी तरह से खारिज करने को सही नहीं ठहराएंगी। एक बेटी अनावश्यक रूप से अपने पिता के खिलाफ आरोप लगाने वाली उंगली नहीं उठाएगी, जिन्होंने इतने समय तक उसे शांत रखने के अलावा परेशान नहीं किया था। न केवल बेटी, बल्कि उसके चाचा और सास ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है।

15. मृतक की पसलियाँ टूटी हुई पाई गईं और मौत का कारण उसे लगी शारीरिक चोटों को बताया गया। हालांकि बाल और चेहरे का कुछ हिस्सा जला हुआ पाया गया था; हालांकि, डॉक्टर ने मृतक के चेहरे और सिर को मिट्टी से लथपथ पाया था। यह केवल पूर्व-

अनुमानित करता है कि आग बुझाने का कोई प्रयास किया गया होगा। केवल इसलिए कि मृतक के सिर और चेहरे पर मिट्टी पाए जाने का कारण अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था, बचाव पक्ष को *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट को अभियोजन मामले के अनुरूप नहीं होने के रूप में निंदा करने में उचित नहीं माना जाएगा। यदि मृतक को जलाने के लिए नहीं, तो यह अपराध को छिपाने और जांच करने के लिए था कि मृतक को आग लगा दी गई थी। वह पूरी तरह से जल नहीं पाया क्योंकि ग्रामीणों ने उसे बचाया और उसे आग से बाहर निकाला। फिर भी, मृतक की तुरंत मृत्यु हो गई थी क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसे किसी भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उस स्थिति में, अपीलार्थियों के इस तरह के रक्तरंजित कार्य में लिप्त होने की निरर्थकता के बारे में बचाव पक्ष के स्पष्टीकरण का सामाजिक और नैतिक संदर्भ स्वीकार करने योग्य नहीं है।

16. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि अलग-अलग समय-सीमा के कोई उदाहरण नहीं हैं; बल्कि 12 बजे के बाद के समय को चिकित्सक द्वारा अपराहण एवं पूर्वाहन नहीं संदर्भित करना, केवल एक गौण गलती है। अन्यथा, समय के संबंध में दस्तावेजों में कोई भी गलत प्रविष्टि पूरे अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनाएगी।

17. इस प्रकार, राज्य के तर्क का योग और सार यह है कि मृतक की पत्नी सहित कई व्यक्तियों के घटना को देखने और निचली अदालत के समक्ष उसकी फिर से गिनती करने की स्थिति में, केवल मानवीय संवेदन शीलताओं के कारण गवाहों को बदनाम करने का कोई अन्य प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। कानून, जैसा कि सामान्य है, यह आदेश देता है कि एक चश्मदीद गवाह के खाते को, यदि पक्का गया है, तो किसी अन्य कारक पर वरीयता दी जानी चाहिए और वर्तमान मामले में, मृतक की पत्नी के चश्मदीद

गवाह होने के कारण को महत्व दिया जाता है और इसे विचारण न्यायालय द्वारा अच्छा महत्व दिया गया है।

18. अभि. साक्षी 3 द्वारा अपने चौदह साथियों के साथ उसके पिता का नाम रखने के कारणों को जानने के हमारे प्रयासों में, हमने सभी सात गवाहों के साक्ष्य का कुछ विस्तार से विश्लेषण किया है।

19. आशा देवी अभि. साक्षी -3 ने घटना के समय उसके घर में मृतक, उसकी सास (अभि. साक्षी-2) एवं एक ब्रज किशोर (जाँच नहीं की गई) की उपस्थिति की बात की है। अपने *फ़र्दबेयान* में, वह यह कहने में स्पष्ट थी कि जब घटना हुई थी तो केवल वह और मृतक घर में थे। यह जोड़ इस कारण से प्रासंगिक हो जाता है कि ब्रज किशोर, जिन पर मृतक को बचाने की कोशिश करते समय हमला करने का भी आरोप लगाया गया था और जिस हमले के कारण एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, से मुकदमे में कभी पूछताछ नहीं की गई। इन सभी व्यक्तियों के साथ, अभि. साक्षी 3 ने भी घटना के समय घर में उसके बहनोई की उपस्थिति को स्वीकार किया है। वह दावा करती है कि जब वह अपने पति को बचाना चाहती थी तो अपीलकर्ताओं ने उस पर हमला किया था। उसकी सास और मृतक के छोटे भाई को लगी चोटों के लिए स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया। हालाँकि, उनमें से कोई भी घायल अभिलेख पर नहीं है।

20. एक अलग हवा चलाते हुए, अभि. साक्षी 3 एक अलग ही राग अलापते हुए अपीलार्थी/ललन यादव, ने पूर्व में मुकदमा मृतक के खिलाफ अभि. सं.-3 से विवाह को लेकर नहीं करने का उसके पिता का स्पष्टीकरण दिया है, पिता की बढ़ती उम्र को बताया। वह दावा करती है कि उसने मृतक से अपनी पसंद से शादी की थी और इस शादी से उसे एक पुत्र भी हुआ था। उन्होंने पुष्टि की है कि ग्रामीणों/अपीलकर्ताओं का पूरा गुस्सा, क्योंकि

उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ मृतक से शादी की थी, मृतक की ओर निर्देशित किया गया था। घटना के बाद, अभि. साक्षी 3 ने अपने पिता और दादा दोनों को फंसाने का फैसला किया, लेकिन उनके माता-पिता के घर की किसी भी महिला सदस्य को नहीं। जिस घर में यह घटना हुई थी, वह अपीलार्थी/ललन यादव के घर के बगल में स्थित है।

21. अभि. साक्षी 3 द्वारा खुलासा किया गया एक अन्य तथ्य जिसने उसके बयान को संदिग्ध बना दिया है, वह है कि वह घटना के समय पी. ओ. से लगभग ढाई किलोमीटर दूर स्थित एक अलग गाँव में अपने बहनोई के घर भाग गई और फिर उस गाँव में वापस आ गई जहाँ यह घटना हुई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते। अभि. साक्षी 3 का यह संस्करण अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

22. परमानंद यादव, जो हालांकि प्राथमिकी के साथ-साथ जाँच का भी गवाह है, वह व्यक्ति है जिसे अभि. साक्षी- 3 ने तब देखा था जब उसके पति पर अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा था। इसलिए, अभियोजन पक्ष के पास उसे कठघरे में आने से रोकने का कोई कारण नहीं था।

23. उपरोक्त परमानंद यादव के भाई, बीरबल यादव (अभि. साक्षी 6) का दावा है कि उन्हें इस घटना के बारे में अभि. साक्षी 3 को परमानंद यादव से बात करते हुए संयोग से सुनने के बाद ही पता चला। वह परमानंद की पत्नी जो मृतक की बहन है, के साथ पी.ओ. पर आया लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने, उसने यह संकेत देने के लिए कोई बयान नहीं दिया है कि उसका भाई/परमानंद यादव अभि. साक्षी 3 के साथ पी. ओ. पर गया था।

24. क्या उसने वास्तव में इस घटना को देखा था?

25. घटना के समय क्या वह घर में मौजूद थी?

26. इसके बारे में एक क्षय करता संदेह इस कारण प्रतीत होता है कि मारे गए व्यक्ति की पत्नी, अपने पिता और उसके अन्य ग्रामीणों से अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाते हुए, अचानक इतनी सन्न नहीं होगी कि वह दो से तीन किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव में भाग जाएगी। जब उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की थी तो गवाहों द्वारा उस पर हमले के बारे में अलग-अलग बयान दिए गए हैं। आखिरकार, वह शिकार नहीं थी। उसके लिए अपनी जान से डरने का कोई कारण नहीं था।

27. वह दावा करती है कि उसे आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र मिला है। क्या उसने अपने पुत्र के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया या अपने बेटे को पीछे छोड़ दिया, यह भी अज्ञात है। इस तरह के ऊपर-नीचे की दूदी तय करने के वास्ते आधे घंटे के भीतर उसने किस प्रकार की यात्रा का चुनाव किया यह भी जिज्ञासा का विषय है। अगर वह पैदल यात्रा करती तो समय पर परमानंद यादव के ग्राम के घर नहीं पहुँच पाती। यह छोड़ते हुए कि हत्या के प्रतिवेदन के वास्ते, उसे घटनास्थल पर जाने एवं वापस आने के वास्ते घटना 13.03.2010 को ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच रिपोर्ट 06:00 बजे अपराहण में तैयार की गई थी।

28. इस संदर्भ में हम पाते हैं कि मृतक के चाचाओं में से एक मिंटू यादव (अभि.साक्षी. 1) और मृतक की सास दुलारो देवी (अभि.साक्षी. 2) के बयान से भी हमले के समय अभि.साक्षी. 3 की उपस्थिति के बारे में इस तरह के संदेह बहुत स्पष्ट हो जाते हैं।

29. अभि.साक्षी. 1 का घर पी. ओ. के पास स्थित है। उनके भतीजे (मृतक) पर उनकी उपस्थिति में हमला किया गया था। मृतक को भी उसकी उपस्थिति में आग लगा दी गई। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों में से कोई भी किसी भी आग्नेयास्त्र या किसी भी घातक हथियार से लैस नहीं था। यह कि वे सभी

कठोर और कुंद पदार्थ से लैस थे, मृतक के व्यक्ति पर पूर्व-शव परीक्षण चोट की प्रकृति और अभि.साक्षी. 2, ब्रज किशोर (जांच नहीं की गई) और मृतक के भाई की कोई चोट रिपोर्ट के अभाव से भी पुष्टि होती है।

30. क्या वह मूक दर्शक होता?

31. अपीलार्थी/ललन यादव के अलावा, अन्य सभी अपीलार्थी अलग-अलग घरों से हैं। पी. ओ. और उनके घर के बीच की दूरी केवल एक मिनट की थी। जब वह मृतक के घर पहुँचा तो उसने केवल मृतक और उसकी पत्नी (अभि.साक्षी. 3) और पंद्रह अपीलार्थियों को देखा और किसी और को नहीं देखा।

32. अगर उसकी बहन (अभि. साक्षी2) घर में होती, तो अभि.साक्षी1 ट्रायल कोर्ट के सामने उसका नाम नहीं छोड़ती। उनके अनुसार, अभि.साक्षी 3 बरामदे में खड़ा था जब मृतक पर हमला किया जा रहा था। अभि.साक्षी 1 ने उसे लगभग पाँच से दस मिनट तक इस घटना को देखते हुए देखा; जिसके बाद वह परमानंद यादव के घर जाने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल की थी। अन्य अपीलार्थियों (अपीलार्थी/ललन यादव के अलावा) के संबंध में, अभि.साक्षी1 ने उन्हें दरवाजे पर खड़ा पाया। उन्होंने उन्हें उस घर के आंगन में प्रवेश करते नहीं देखा था जहां घटना का पहला हिस्सा किया गया था। हालाँकि उसने अपीलार्थियों के निरकुंश कार्रवाई का विरोध करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास एक धमकी बची थी।

33. जब पुलिस दल ग्राम में पहुँचा तो अभि.साक्षी 3 अपनी साली (जाँच नहीं की गई) के साथ आई। उनके आने के एक मिनट बाद परमानंद यादव भी आ गए।

34. ढाई किलोमीटर की दूरी शायद एक घंटे से भी कम समय में तय नहीं की जा सकती। अन्यथा भी, घटनाओं का पूरा विवरण अभियोजन मामले में फिट नहीं बैठता है।

35. अभि.साक्षी 1 के अनुसार, शव को ग्रामीणों और विशेष रूप से ग्राम के डॉक्टरों में से एक द्वारा आग से बाहर निकाला गया था, जिसकी परीक्षण विचारण के दौरान नहीं की गई है। इसके बाद ही पुलिस दल आया था।

36. क्या पुलिस दल के आने तक मृतक की मृत्यु हो चुकी थी? अभि.साक्षी 1 ने गाँव वालों के द्वारा पुनर्जीवन के किसी भी प्रयास का उल्लेख नहीं किया है जब अपीलार्थी पी. ओ. को छोड़ चुके थे।

37. यहाँ, डॉ. संजीव कुमार (अभि.साक्षी 5) डॉक्टर जिन्होंने लगभग 12:15 बजे 13.03.2010 को पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया था के बयान को संदर्भित करना आवश्यक होगा। दिन में।

38. हमने मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-1) की जांच की है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शव 11:30 बजे अपराह्न में 13.03.2010 को प्राप्त हुआ था। यह कैसे संभव था जब कहा जाता है कि यह घटना हो 13.03.2010 की शाम के समय हुई थी? या तो अभियोजन पक्ष की कहानी गलत है या दस्तावेजों में दर्ज समय गलत है।

39. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक का सुझाव है कि डॉक्टर समय को ए. एम. (आधी रात के बाद) के रूप में संदर्भित करने के बजाय, अपने बयान में इसे पी. एम. के रूप में गलत तरीके से संदर्भित किया। यह नहीं, लेकिन विचारण न्यायालय के

समक्ष प्रदर्शित दस्तावेजों की समय के पुरे सेट की व्याख्या करता है। आधी रात के पश्चात्, 14.03.2010 होता।

40. इस व्याख्या का एक और दूसरा पहलू भी है। आम तौर पर, पोस्टमार्टम आधी रात में नहीं किया जाता है जैसा कि अभियोजन निदेशालय का नियमित निर्देश है।

41. किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम विरोध की एक रुपरेखा को लेते हुए, हम मृतक के व्यक्ति पर चोटों को ऐसा नहीं पाते हैं जिससे उसकी तत्काल मृत्यु या किसी भी चिकित्सा सहायता की पूर्ण निरर्थकता या मृत्यु की चिकित्सा घोषणा के वास्ते हो। चारों अंगों में शव-कठिन्य पाई गई। यदि घटना की रात में शव को कभी-कभी पोस्टमार्टम टेबल पर लाया जाता, तो शव-कठिन्य उपस्थित नहीं होती, क्योंकि यह मार्च का महीना था।

42. चेहरा, गर्दन और छाती का ऊपरी हिस्सा मिट्टी से ढका हुआ पाया गया। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, राज्य का स्पष्टीकरण यह है कि शायद यह आग बुझाने के लोगों के प्रयासों के कारण था।

43. बाल के जल जाने के कुछ साक्ष्य थे लेकिन जलने की चोटों से शरीर पर कोई खरोंच के निशान नहीं थे।

44. दाहिनी छाती पर केवल एक घाव था जो केवल त्वचा तक गहरा था। बाहरी जननांग अक्षुण्ण पाए गए। खोपड़ी पूरी तरह से अक्षत थी। इंटरक्रैनियल रक्तस्राव नहीं हुआ था। हालांकि, अभि.साक्षी 5 ने पाया कि दोनों तरफ पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था जिससे फेफड़े पंकचर हो गए थे। पेट की गुहा में खून पाया गया। लीवर को भी तीन स्थानों पर घाव हो गया था।

45. चोटें निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन तब मृत्यु का प्रमाणन आवश्यक था।

46. क्या मृतक की उसी क्षण मृत्यु हो गई थी जब उसे आग में फेंक दिया गया था या जब उसे बाहर निकाला गया था, तब उसकी मृत्यु हो गई थी, यह अज्ञात है।

47. पुलिस अभि.साक्षी³ से पहले घटना स्थल पर पहुंची थी। जाँच परीक्षा आयोजित करने से पहले, ऐसे परिदृश्य में, घायल/मृतक को अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था।

48. अभियोजन पक्ष की कहानी को यहाँ एक और झटका लगता है

49. इस तरह की चोट के साथ, विशेष रूप से केवल आंतरिक रक्तस्राव, गवाहों और आई. ओ. की गवाही अतिरिक्त प्रतीत होती है। उन सभी को किसी तरह आंगन में खून के निशान मिले थे।

50. दुलारो देवी (अभि.साक्षी 2) घटना में घायल होने का दावा करती हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, उनके व्यक्ति पर पूरे रिकॉर्ड में किसी भी चोट का कोई संदर्भ नहीं है। हालाँकि, उसने कुछ और कहा है जो फिर से अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए घटनाओं के क्रम के खिलाफ है। उसने आरोप लगाया है कि मृतक को आग से दूर ले जाने के बाद डॉक्टर के पास लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

51. यह कब हुआ? मृतक की मृत्यु को प्रमाणित करने वाला डॉक्टर कौन था? और उस डॉक्टर की जाँच क्यों नहीं की गई? ये संभावित प्रश्न हैं जो किसी भी उत्तर को संकेत देंगे। अगर यह सब हुआ था, तो पुनः प्राथमिकी में 13.03.2010 को 05:30 बजे

अपराहन का समय प्राथमिकी पर जादू करने जैसा भी प्रतीत होता है। इन सभी में काफी समय लग गया होगा।

52. हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुत करने में कुछ औचित्य पाते हैं कि मृतक के व्यक्ति पर चोटों की प्रकृति का पता लगाने के बाद ही, प्राथमिकी को इस तरह के आरोप के साथ दर्ज किया गया था। अन्यथा, 05:30 बजे अपराहन पर दर्ज किए जा रहे एफ. आई. आर. में ऐसी गणितीय सटीकता नहीं होती: 06.00 पी. एम. पर की गई जाँच और 12:00 बजे पूर्वाहन में पोस्टमॉर्टम परीक्षा उसी दैनिक विस्तार में रात में किया गया।

53. सभी गवाह, जो मृतक के रिश्तेदार हैं, ने कम से कम यह स्वीकार किया है कि मृतक ने पड़ोसी ग्राम के एक राजवंशी की बेटी के साथ पहले शादी की थी। यहां तक कि मृतक की मां (अभि.साक्षी 2) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि अभि.साक्षी 3 के मृतक से शादी करने से पहले, उसने राजवंशी की बेटी के साथ शादी का अनुबंध किया था। जिसके वास्ते उसके खिलाफ एक वाद दर्ज किया गया था।

54. अपीलार्थी/ललन यादव ने भी मृतक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जब उसने अपनी इच्छा के खिलाफ अभि.साक्षी3 से शादी करने का फैसला किया था।

55. इनमें से कोई भी मामला की प्राथमिकी या उनकी स्थिति रिकॉर्ड में नहीं है और वे विवरण केवल गवाहों के मुंह से उन्हें दिए गए सुझावों के जवाब के रूप में साक्ष्य में आए हैं।

56. इसलिए यह हमें इस प्राथमिक प्रश्न की ओर ले जाता है कि अगर पिता ने उसके वैवाहिक घर में एक गिरोह का नेतृत्व नहीं किया था और मृतक की हत्या नहीं की थी, तो एक बेटी अपने पिता के खिलाफ गवाही क्यों देगी।

57. हमें सबूतों से पता चला है कि मृतक ने लगभग तीन साल पहले अभि.साक्षी 3 से शादी की थी। शुरुआत में दंपति ग्राम में नहीं रहते थे। बहुत बाद में ही उन्होंने ग्राम वापस आने और अपना जीवन जीने का फैसला किया। मृतक और अपीलार्थी/ललन यादव का घर, जैसा कि हमने देखा है, बगल में है। जबकि अभि.साक्षी 3 अपने ही ग्राम के घर में अपने पति (मृत) के साथ रही, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसलिए यह तथ्य यह अनुमान लगाता है कि मृतक और अभि.साक्षी 3 घटना के पहले कुछ महीनों तक अपीलार्थी/ललन यादव के घर से कुछ दूरी पर गाँव में रह रहे थे।

58. अभि.साक्षी 3 से शादी करने के लिए मृतक से बदला लेने की तारीख के रूप में 13.03.2010 का चयन करने का क्या कारण था?

59. इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभि.साक्षी 1 एवं 2 के कहने पर एफ. आई. आर. दर्ज किया गया है। शायद, अन्य, जो एक ऐसे समूह का हिस्सा थे जो अपीलार्थी/ललन यादव के नेतृत्व वाले समूह का विरोध कर रहे थे। हो सकता है कि कोई लड़ाई हुई हो या किसी ने मृतक पर हमला किया हो। यह कि मृत्यु ने मृतक के परिवार के सदस्यों को अपीलार्थी/ललन और उसके समर्थकों को फंसाने का अवसर प्रदान किया, एक ऐसी संभावना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों की ओर किए गए इशारा का जवाब नहीं दिया जा सका।

60. यदि सभी पंद्रह अपीलकर्ताओं ने मृतक पर हमला किया होता, तो बाहरी चोटें इतनी कम नहीं होतीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को आंतरिक चोट लगी है। उनकी पसलियाँ टूट गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ों में पंकचर हो गया था और आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था। पंद्रह व्यक्तियों द्वारा हमले के साथ, केवल एक घर्षण का बाहरी प्रमाण नहीं होता जो केवल त्वचा तक गहरा था। अन्यथा भी, किसी भी गवाह ने सभी पंद्रह अपीलार्थियों को मृतक के आंगन के अंदर नहीं देखा। जैसा कि अभि.साक्षी 2 द्वारा खुलासा किया गया है, आंगन जो बीस फीट आकार का है, सभी पंद्रह व्यक्तियों को अपनी बाहें चलाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान नहीं करेगा।

61. अभि.साक्षी 3 का अपने वैवाहिक परिवार के साथ जाने और अपने पिता को अभियुक्त व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित करने का स्पष्टीकरण, जिसने अभि.साक्षी 3 के साथ उसके संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था, अभि.साक्षी 3 के लिए एकमात्र स्वीकार्य विकल्प प्रतीत होता है, जो आरोप सच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

62. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमने सभी अपीलकर्ताओं की मृतक के घर में प्रवेश करने, उस पर हमला करने, उसे बाहर खींचने (*पोस्टमार्टम* रिपोर्ट में खींचने के कोई निशान नहीं पाए गए हैं) और हत्या के साक्ष्य को हटाने के लिए उसे आग लगाने में भागीदारी पर संदेह किया है, जिससे हमें सभी अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देकर अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

63. पूर्व-उल्लिखित कारणों से, हम ऊपर निर्दिष्ट दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार करते हैं और उपरोक्त नामित अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं।

64. अपीलार्थी/ललन यादव को छोड़कर अन्य सभी अपीलार्थी [2017 की अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 715] जमानत पर हैं। जमानत-बांड के तहत उनकी देनदारियां रद्द कर दी जाती हैं।

65. अपीलार्थी/ललन यादव [2017 की अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 715] को 28.03.2017 से हिरासत में कहा जाता है। उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

66. सभी अपीलों को स्वीकृत किया जाता है।

67. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

68. इन मामलों के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

69. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

प्रवीण-द्वितीय/मनोज

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।